मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र.एफ–1/42/04–पी.एम.यू./2097 भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त ,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषयः– जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (परिपत्र क्र. 16)

––0––

वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 31.05.2006 (परिपत्र क्र.1) द्वारा संचालनालय संस्थागत वित्त में पी.पी.पी. सेल का गठन किया गया है। इसी आदेश में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है जो कि भारत सरकार की वाईबिलिटी गैप फण्डिंग योजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को स्वीकृत करती है।

2 जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं को स्वीकृत करते समय सतर्कता रखा जाना आवश्यक है क्योंकि ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति में राज्य शासन की अनेक बिन्दुओं पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है जैसे कि शासकीय सम्पत्ति (भूमि सहित) का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण, जन–निजी भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वित परियोजना अन्तर्गत विकसित सम्पत्ति का जनता द्वारा उपयोग करने पर फीस/शुल्क की वसूली हेतु दरों का निर्धारण, एकाधिकार वाली सेवाओं में प्रदाय की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, शासन द्वारा निजी क्षेत्र के साथ परियोजना से संबंधित

आकस्मिक दायित्वों (contingent liability) में सहभागिता आदि। उपरोक्त महत्वपूर्ण कारणों से यह आवश्यक है कि ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर पर समिति हों, जिनके द्वारा परियोजना का विस्तृत विश्लेषण (due diligence) करने पर ही स्वीकृति प्रदान की जा सके और राज्य सरकार पर आकस्मिक दायित्व न्यूनतम किया जा सके।

3 प्रदेश में विभिन्न शासकीय विभाग, नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, राज्य सरकार के निगम आदि द्वारा जन–निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित की जा रही परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया को सुदृढ़, स्पष्ट एवं सरल करने के उददेश्य से एवं प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है :–

3.1 प्रशासकीय विभाग अथवा विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों अथवा अन्य ऐजेन्सी द्वारा जन–निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित की जाने वाली परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रथमतः सैद्धान्तिक सहमति निम्नानुसार प्राप्त की जाएगीः–

(अ) जन–निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित की जाने वाली ऐसी परियोजना, जिसमें भारत सरकार की वाईबिलिटी गैप फण्डिंग योजना (viability gap funding scheme) अन्तर्गत अनुदान प्राप्त नहीं किया जाना है एवं जिसकी कुल लागत रू0 10 करोड़ तक है, के समग्र परीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुशंसा हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक **विभाग स्तरीय सशक्त समिति (Departmant Level Empowered Committee – DLEC)** गठित की जाती है। इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :–

i	संचालक, संस्थागत वित्त	– सदस्य
ii	अपर सचिव/सलाहकार, राज्य योजना आयोग	– सदस्य
iii	सचिव/अपर सचिव, विधि विभाग	– सदस्य
iv	सचिव/अपर सचिव – परियोजना से संबंधित ऐसे विभाग (यथा वन, राजस्व, आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास आदि) जिनसे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमति/सहयोग आवश्यक है	– सदस्य
v	परियोजना प्रस्तावित करने वाले विभाग के संबंधित विभागाध्यक्ष	– सदस्य सचिव

प्रशासकीय विभाग द्वारा विभाग स्तरीय सशक्त समिति (DLEC) की अनुशंसा उपरान्त विभागीय मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त करने पर परियोजना को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जा सकेगी।

(ब) जन–निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित की जाने वाली ऐसी परियोजना, जिसकी कुल लागत रूपये 10 करोड़ से अधिक है अथवा जिसमें भारत सरकार की वाईबिलिटी गैप फण्डिंग योजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया जाना है, की सैद्धान्तिक सहमति हेतु सर्वप्रथम विभागीय मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। इसके पश्चात इसे परियोजना प्रस्ताव के समग्र परीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुशंसा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय सशक्त समिति (State Level Empowered Committee – SLEC)** के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :–

i	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	– सदस्य
ii	प्रमुख सचिव, योजना विभाग	– सदस्य
iii	प्रमुख सचिव, विधि विभाग	– सदस्य
iv	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव– परियोजना प्रस्तावित करने वाले प्रशासकीय विभाग	– सदस्य
v	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव –परियोजना से संबंधित ऐसे विभाग (यथा वन, राजस्व, आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास आदि) जिनसे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमति/सहयोग आवश्यक है	– सदस्य
vi	संचालक, संस्थागत वित्त	– सदस्य सचिव

प्रशासकीय विभाग द्वारा राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) की अनुशंसा उपरान्त मंत्री–परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने पर परियोजना को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जा सकेगी।

(स) समग्र परीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुशंसा हेतु प्रस्ताव विभाग स्तरीय सशक्त समिति (DLEC) / राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) के समक्ष संलग्नक – 1 पर स्थित Format-I में प्रस्तुत किया जाएगा ।

3.2 परियोजना को सैद्धान्तिक सहमति के पूर्व/पश्चात प्रशासकीय विभाग नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर ट्रांजेक्शन सलाहकार (Transaction Adviser) नियुक्त कर सकेगा । भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जन–निजी भागीदारी के माध्यम से परियोजना विकसित करने हेतु ट्रांजेक्शन एडवाईजर का पैनल जारी किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भी ट्रांजेक्शन एडवाईजर्स का पैनल पृथक से जारी कर सकेगा। प्रशासकीय विभाग इन पैनल्स से भी ट्रांजेक्शन एडवाईजर का चयन कर नियुक्त कर सकता है ।

3.3 प्रशासकीय विभाग **फिजिबिलिटी रिपोर्ट (Feasibility Report)** तथा **रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (Request For Qualification-RFQ)** तैयार करेगा । Feasibility Report तथा RFQ का अनुमोदन प्रशासकीय विभाग स्वयं कर सकेगा । विभाग प्राप्त प्रस्तावों में से RFQ के मापदंड अनुसार निविदाकर्ताओं का प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु चयन करेगा। तत्पश्चात प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु डेव्हलपर/कन्सेशनेयर के चयन के लिये आवश्यक दस्तावेज **आर.एफ. पी. (Request For Proposal)** एवं **कन्सेशन एग्रीमेंट (Concession Agreement)** तैयार किये जावेंगे। आर.एफ.पी. तथा कन्सेशन एग्रीमेंट्स के प्रारूपों का अनुमोदन प्रशासकीय विभाग द्वारा निम्नानुसार कराया जावेगा–

(अ) ऐसी परियोजना, जिसमें भारत सरकार की वाईबिलिटी गैप फण्डिंग योजना (viability gap funding scheme) अन्तर्गत अनुदान प्राप्त नहीं किया जाना है एवं जिसकी कुल लागत रू0 10 करोड़ तक है, की स्वीकृति हेतु विभाग स्तरीय सशक्त समिति (DLEC) की अनुशंसा उपरान्त विभागीय मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(ब) ऐसी परियोजना, जिसकी कुल लागत रूपये 10 करोड़ से अधिक है अथवा जिसमें भारत सरकार की वाईबिलिटी गैप फण्डिंग योजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया जाना है, की स्वीकृति हेतु सर्वप्रथम विभागीय मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। इसके पश्चात राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) द्वारा परियोजना प्रस्ताव के समग्र परीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुशंसा उपरान्त मंत्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

परन्तु, जिन परियोजनाओं में भारत सरकार से वाईबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत् स्वीकृति प्राप्त की जाना है, ऐसे प्रकरणों को राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरान्त विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजे जा सकेगें।

(स) प्रारूप दस्तावेजों के अनुमोदन का प्रस्ताव विभाग स्तरीय सशक्त समिति (DLEC) / राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) के समक्ष संलग्नक – 2 पर स्थित Format-II में प्रस्तुत किया जाएगा ।

3.4 आर0एफ0पी जारी करने के पश्चात प्री–बिड कांफ्रेंस के परिणाम स्वरूप यदि दस्तावेजों में संशोधन की आवश्यकता विभाग को प्रतीत होती है तो ऐसे संशोधन को रू0 10 करोड़ तक की परियोजना हेतु विभाग स्तरीय सशक्त समिति (DLEC) तथा इससे अधिक राशि की परियोजनाओं एवं वाईबिलिटी गैप फंडिंग की परियोजनाओं हेतु राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) अनुमोदित कर सकेगी।

3.5 डेव्हलपर/कन्सेशनेयर के चयन के लिये प्राप्त तकनीकी तथा वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन प्रशासकीय विभाग अथवा विभाग अन्तर्गत उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने वाली ऐजेन्सी द्वारा किया जाएगा एवं वित्तीय अधिकारों के अनुसार निविदा की स्वीकृति की जावेगी। निविदा स्वीकृति उपरान्त प्रशासकीय विभाग अथवा विभाग अन्तर्गत उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने वाली ऐजेन्सी द्वारा डेव्हलपर/कन्सेशनेयर को कार्य आदेश जारी कर अनुबंध निष्पादित किया जा सकेगा।

3.6 राज्य स्तरीय सशक्त समिति (SLEC) के समक्ष प्रस्ताव संचालनालय संस्थागत वित्त अन्तर्गत पी.पी.पी. सेल के माध्यम से प्रस्तुत किये जाएंगे ।

4. यह आदेश जारी होने से जननिजी भागीदारी विषय पर वित्त विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 1 से 15 इस परिपत्र में राज्य शासन के निर्णय अनुसार संशोधित हो जाएंगे ।

संलग्नक (1) Format-I

संलग्नक (2) Format-II

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(जी0पी0सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.एफ–1/42/04–पी.एम.यू./2098 भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोकसेवा आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री,मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयेग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल /जबलपुर/ इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप–महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा हकदारी)/आडिट 1/2, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. समस्त प्रबंध संचालक, म.प्र शासन के सार्वजनिक उपक्रम /मंडल
15. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल ।
16. समस्त आयुक्त नगर निगम/नगर पालिका म.प्र ।
17. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण ।

(नीतेश व्यास)
अतिरिक्त सचिव
म.प्र शासन वित्त विभाग

संलग्नक (1)

Format-I

Memorandum for DLEC /SLEC (for 'in principal' approval)

S. No.	Item	Response
1.	**General**	
1.1	Name of the Project	
1.2	Type of PPP (BOT, BOOT, BOLT, OMT etc.)	
1.3	Location (District/Town)	
1.4	Administrative Department	
1.5	Name of Sponsoring Authority	
1.6	Name of the Implementing Agency	
2.	**Project Description**	
2.1	Brief Description of the project	
2.2	Justification for the project	
2.3	Possible alternatives, if any	
2.4	Estimate capital costs with break-up under major head of expenditure. Also indicate the basis of cost estimation	
2.5	Phasing of investment	
2.6	Project Implementation Schedule (PIS)	
3.	**Financing Arrangement**	
3.1	Sources of financing (equity, debt, mezzanine capital, etc.)	
3.2	Indicate the revenue streams of the project (annual flows over project life). Also indicate the underlying assumptions.	
3.3	Indicate the NPV of revenue streams with 10% discounting	

S. No.	Item	Response
3.4	Who will fix the tariff / user charges? Please specify in detail.	
3.5	Have any FIs been approached? If yes, there response may be indicated.	
4.	**IRR**	
4.1	Economic IRR (if computed)	
4.2	Financial IRR, indicating various assumptions (attach separate sheet if necessary)	
5.	**Clearances**	
5.1	Status of environmental clearances	
5.2	Clearance required from other Administrative Departments of the State Government and local authorities	
5.3	Other support required form the State Government	
6.	**Government of India Support**	
6.1	Viability Gap Funding, if required	
6.2	GoI guarantees being sought, if any	
7	**Concession Agreement**	
7.1	Terms sheet of the proposed Concession Agreement (Attached at Appendix-A)	
8.	**Criteria for short-listing**	
8.1	Is short-listing to be in one stage or two stages?	
8.2	Indicate the criteria for short-listing (attach separate sheet if necessary)	
9	**Others**	
9.1	Remarks, if any	

Format-I

(Appendix - A)

Term Sheet of the proposed Concession Agreement

A. Sponsoring Department :

B. Name of the project :

C. Location of the project :

D. Transaction Adviser (if any) :

S. No.	Item	Response
1.	**General**	
1.1	Scope of the Project (Please state in about 200 words)	
1.2	Nature of concession to be granted	
1.3	Period of concession and justification for fixing the period	
1.4	Estimated Capital Cost	
1.5	Likely construction period	
1.6	Conditions precedent, if any, for the concession to be effective	
1.7	Status of land acquisition	
2.	**Construction and O&M**	
2.1	Monitoring of construction; whether an independent agency / engineer is contemplated	
2.2	Minimum standards of Operation and Maintenance	
2.3	Penalties for violation of prescribed O&M standards	
2.4	Safety related provisions	
2.5	Environment related provisions	

S. No.	Item	Response
3.	**Financial**	
3.1	Maximum period for achieving financial closer	
3.2	Nature and extent of capital grant /subsidy contemplated	
3.3	Bidding parameter (capital subsidy or other parameter)	
3.4	Provision for change of scope and the financial burden thereof	
3.5	Concession fee, if any, payable by the Concessionaire	
3.6	User charges/ fee to be collected by the Concessionaire	
3.7	Indicate how the user fee is to be determined; the legal provisions in support of user fee (attach the relevant rules/ notification); and the extent and nature of indexation for inflation	
3.8	Provisions, if any, for mitigating the risk of lower revenue collection	
3.9	Provisions relating to escrow account, if any	
3.10	Provisions relating to insurance	
3.11	Provisions relating to audit and certification of claims	
3.12	Provisions relating to assignment / substitution rights relating to lenders	
3.13	Provisions relating to change in law	
3.14	Provisions, if any, for compulsory buy-back of assets upon termination / expiry	
3.15	Contingent liabilities of the State Government	
	a. Maximum Termination Payment for Government / Authority default	
	b. Maximum Termination Payment for Concessionaire Default	
	c. Specify any other penalty, compensation or payment contemplated under the agreement	

S. No.	Item	Response
4	**Others**	
4.1	Provisions relating to competing facilities, if any	
4.2	Specify the proposed Dispute Resolution Mechanism	
4.3	Specify the proposed governing law and justification	
4.4	Other remarks, if any	

संलग्नक (2)

Format-II

Memorandum for DLEC /SLEC (for final approval)

S. No.	Item	Description
1.	**General**	
1.1	Name of the Project	
1.2	Type of PPP (BOT, BOOT, BOLT, OMT etc.)	
1.3	Location (District/Town)	
1.4	Administrative Department	
1.5	Name of Sponsoring Authority	
1.6	Name of the Implementing Agency	
2.	**Project Description**	
2.1	Brief Description of the project	
2.2	Justification for the project	
2.3	Possible alternatives, if any	
2.4	Estimate capital costs with break-up under major head of expenditure. Also indicate the basis of cost estimation	
2.5	Phasing of investment	
2.6	Project Implementation Schedule (PIS)	
3.	**Financing Arrangement**	
3.1	Sources of financing (equity, debt, mezzanine capital, etc.)	
3.2	Indicate the revenue streams of the project (annual flows over project life). Also indicate the underlying assumptions.	
3.3	Indicate the NPV of revenue streams with 10%	

S. No.	Item	Description
	discounting	
3.4	Who will fix the tariff / user charges? Please specify in detail.	
3.5	Have any FIs been approached? If yes, there response may be indicated.	
4.	**IRR**	
4.1	Economic IRR (if computed)	
4.2	Financial IRR, indicating various assumptions (attach separate sheet if necessary)	
5.	**Clearances**	
5.1	Status of environmental clearances	
5.2	Clearance required from other Administrative Departments of the State Government and local authorities	
5.3	Other support required form the State Government	
6.	**Government of India Support**	
6.1	Viability Gap Funding, if required	
6.2	GoI guarantees being sought, if any	
7	**Concession Agreement (Enclose Request for Proposal / Concession Agreement)**	
7.1	Terms sheet of the proposed Concession Agreement (Attached at Appendix-A)	
8.	**Criteria for short-listing**	
8.1	Is short-listing to be in one stage of two stages?	
8.2	Indicate the criteria for short-listing (attach separate sheet if necessary)	
9	**Others**	
9.1	Remarks, if any	

Format-II

(Appendix - A)

Brief particulars of the Concession Agreement

A. Sponsoring Department :

B. Name of the project :

C. Legal Consultant :

D. Financial Consultant :

S. No.	Item	Clause No.	Description
1.	**General**		
1.1	Scope of the Project (Please state in about 200 words)		
1.2	Nature of concession to be granted		
1.3	Period of concession and justification for fixing the period		
1.4	Estimated Capital Cost		
1.5	Likely construction period		
1.6	Conditions precedent, if any, for the concession to be effective		
1.7	Status of land acquisition		
2.	**Construction and O&M**		
2.1	Monitoring of construction; whether an independent agency / engineer is contemplated		
2.2	Minimum standards of Operation and Maintenance		
2.3	Penalties for violation of prescribed O&M standards		
2.4	Safety related provisions		
2.5	Environment related provisions		

S. No.	Item	Clause No.	Description
3.	**Financial**		
3.1	Maximum period for achieving financial closer		
3.2	Nature and extent of capital grant /subsidy contemplated		
3.3	Bidding parameter (capital subsidy or other parameter)		
3.4	Provision for change of scope and the financial burden thereof		
3.5	Concession fee, if any, payable by the Concessionaire		
3.6	User charges/ fee to be collected by the Concessionaire		
3.7	Indicate how the user fee is to be determined; the legal provisions in support of user fee (attach the relevant rules/ notification); and the extent and nature of indexation for inflation		
3.8	Provisions, if any, for mitigating the risk of lower revenue collection		
3.9	Provisions relating to escrow account, if any		
3.10	Provisions relating to insurance		
3.11	Provisions relating to audit and certification of claims		
3.12	Provisions relating to assignment / substitution rights relating to lenders		
3.13	Provisions relating to change in law		
3.14	Provisions, if any, for compulsory buy-back of assets upon termination / expiry		
3.15	Contingent liabilities of the State Government		
	a. Maximum Termination Payment for Government / Authority default		
	b. Maximum Termination Payment for Concessionaire Default		
	c. Specify any other penalty, compensation or payment contemplated under the agreement		

S. No.	Item	Clause No.	Description
4	**Others**		
4.1	Provisions relating to competing facilities, if any		
4.2	Specify the proposed Dispute Resolution Mechanism		
4.3	Specify the proposed governing law and justification		
4.4	Other remarks, if any		